

कार्यालय, आयकर निदेशक (एट)
छठी मंजिल, पीरामल येन्वर्स, लालबाग मुंबई ४०००१२

आदेश संख्या : आ.नि.(ए)/मु.न./८०-G/1992/2007/2008-09

निर्धारिता का नाम और पता : ROTARY CLUB OF BOMBAY QUEBENS
NECKLACE CHARITABLE TRUST
65/C, MITTAL TOWER,
NARIMAN POINT,
MUMBAI 400 021
12A रजिस्ट्रेशन सं. : TR/25024 dated 13/03/1986
आवेदन की तारीख : 12/02/2008
स्था.के.सं. : AAA TR 4200 K
आदेश की तारीख : 11/03/2008

आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी के अन्तर्गत प्रमाणपत्र (01/04/2008 से 31/03/2011 तक वैध)
(प्रारंभिक/नवीकरण)

मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों के अवलोकन/आवेदन के मामले की सुनवाई के पश्चात् में इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि उस संस्था ने आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी के अन्तर्गत उपधारा (७)के शर्तों को पूरा किया है. निम्नांकित किसी शर्त की अवज्ञा दुसंप्रयोग कभी या उच्छेदन की स्थिति में कानून के अनुसार ये सुविधाएँ वाता संस्थान द्वारा जका कर ली जायेंगी. करदाता की ८०-जी की यह छूट निम्न शर्तों पर ही प्रयत्नी है

- i) संस्था अपनी लेखा पुस्तकें नियमित रूप से बनाए रखेगी और उनका परीक्षण आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी (5) (iv) के अधीन - धारा १२ए (बी) - के अनुपालन के साथ करवायेगी.
- ii) दानदाताओं की वी जाने वाली रसीद पर इस आदेश की संख्या एवं दिनांक अंकित की जायेगी और उस पर यह रूप से छपाया जायेगा कि यह प्रमाणपत्र कब तक वैध है.
- iii) न्यास/संस्था के विलेख (deed) में परिवर्तन कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जायेगा और इसकी सूचना इस कार्यालय को तत्काल दी जायेगी.
- iv) यदि संस्था धारा ८०-जी के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा १२(ए), धारा १२ए(१)(बी)के अन्तर्गत मंजीकृत है अथवा किसी व्यवसायिक गतिविधि चलाने के लिए संस्था को अलग से लेखा पुस्तकें रखनी होंगी. साथ ही ऐसी गतिविधि शुरू होने की तारीख के एक माह के भीतर उसकी सूचना इस कार्यालय को देनी होगी.
- v) धारा ८०-जी के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त दानराशि का किसी व्यवसाय हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं किया जायेगा
- vi) संस्था दानदाता को प्रमाणपत्र जारी करते समय ऊपर वर्णित प्रतिबद्धता का आदर करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रमाणपत्र का दुसंप्रयोग या अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग न हो.
- vii) संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी और न्यासी प्रयोजन के लिए न्यास या सोसायटी या गैर-लाभ-कंपनी द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जायगा और न ही इसके उपयोग की कोशिश की जायगी.
- viii) संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी सुरत में संस्था या उसकी निधि का उपयोग धारा ८०-जी (७)(iii) के अधीन निषिद्ध किसी विशेष धर्म या जाति या समुदाय के लाभ के लिए नहीं किया जायेगा.
- ix) संस्था को न्यास या सोसायटी या गैर-लाभ-कंपनी के प्रबंधक न्यासी या प्रबंधक के बारे में बताए और बताए गए देशों को पूरा करने के लिए न्यास या संस्था के क्रिया कलाप कठोर किए जा रहे हैं या किए जाने की संभावना है इसकी सूचना इस कार्यालय एवं निर्धारण अधिकारी को देनी होगी.
- x) यदि नवीकरण के लिए कार्यालय से संपर्क नहीं किया गया हो तो आस्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जायेगा या किन उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जायेगा इस संबंध में इस कार्यालय को तुरंत सूचित किया जायेगा.
- xi) धार्मिक व्यय कुल आय के ७% से अधिक नहीं होगा.

आयकर अधिनियम १९६१, की धारा ८० जी के अन्तर्गत प्रमाणपत्र न्यास या संस्था की आय को अपने आप छूट नहीं देता



प्रतिलिपि - १.) आवेदक २.) गार्ड फाईल

— ३० —
(आर.के.सिन्हा)
आयकर निदेशक (एट), मुंबई.

मनु
(मंजुसाल वैठा)
आयकर अधिकारी (तकनीकी), मुंबई.

"As per Financial (No.2) Act, 2009 approvals expiring after 31-10-2009 need not be renewed, and shall be deemed to be continued in perpetuity"